

!!श्री गणेशाय नमः!!

“उपहार-पत्र”

यह उपहार-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को रघुकुल
 (RAGHUKUL RESEARCH & TECHNICAL
 COLLEGE) पता : रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय
 नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्रीमती उषा कँवर आयु लगभग 64 वर्ष
 की आयु की श्री वीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, निवासी- रघुकुल मॉडल
 टाऊन-ए, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रांत की
 उपहारकर्ता हैं, जिसे इस उपहार-पत्र में “प्रथमपक्ष” शब्द से सम्बोधित
 किया गया है, जिसकी समस्त शर्तों से उपहारकर्ता स्वयं एवं उपहारकर्ता
 के अन्तर्गत सभ्यता, स्थानापन्न, वारिसान, प्रतिनिधि, परिवारगत,
 एजन्ड एवं उत्तराधिकारी इत्यादि पादन्द व सम्मिलित समझे जायेंगे कि
 और से

“बहक”

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF
 EDUCATION) पता : प्लॉट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल
 टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री मानवेन्द्र सिंह आयु
 लगभग 68 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी- प्लॉट नम्बर 4, पारस
 नगर, रघुकुल मॉडल टाऊन-ए, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रांत
 की उपहारकर्ता हैं, जिसे इस उपहार-पत्र में “द्वितीयपक्ष” शब्द से
 सम्बोधित किया गया है, जो कि यह उपहार पत्र दिव्यता देता है

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

जो कि अचल सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

यह कि ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर का खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे श्री कैलाश चन्द अग्रवाल के नाम से दर्ज थी। जिसके पश्चात श्री कैलाश चन्द अग्रवाल ने ग्राम पीपल्या बाई का बाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर मे खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर मे से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण को जरिये विक्रयपत्र लिखा हुआ दिनांक 20/10/2010 को रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान पता : रघुकुल मॉडल टाउन-ए, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्रीमती उषा केंवर धर्मापत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, निवासी- रघुकुल मॉडल टाउन-ए, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर को बेचान कर दिया।

Rajasthan Research and Technical Institute

उपस्थित
Signature

Signature
Date

Signature
Date
3

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का बाढ़, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बाराणी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बाराणी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बाराणी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर में से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बाराणी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर प्रथमपक्ष बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, स्वामी एवं अधिकारी के रूप में कायिल हो गई एवं वर्तमान में उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से उपयोग एवं उपयोग में लेने, हस्तान्तरित करने, विक्रय करने के सम्पूर्ण स्वतंत्र मालिकाना हक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

यह कि उक्त सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार, साझेदार नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान व जनसाधारण आदि के हक में किसी भी प्रकार इकरारनामा, विक्रय-पत्र, दान, वसीयत, बखशीश, गिरवी, ऋण, कुर्की, डिक्री, बेनामा, त्याग-पत्र इत्यादि द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान में सम्पूर्ण प्रकार के सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, जन-साधारण व अन्य वित्तीय संस्थान आदि के ऋण-भारों एवं हर प्रकार के राजकीय, अदालती व जन-साधारण आदि के झगड़ो-दब्दों से पूर्णतया मुक्त व पाक है। उक्त सम्पत्ति को वर्तमान में हर प्रकार से उपयोग में लेने एवं विक्रय इत्यादि करने के सम्पूर्ण मालिकाना हक एवं अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।


उक्त सम्पत्ति

मा. जे. नू. मिश्रा

उप-निर्देशक
चाकसू

उप-निर्देशक
चाकसू

11411



चूंकि प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति याम पीपल्या बाई का बाट, पटवार हल्पा बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा, तहसील चाकरू, जिला जयपुर में खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.गु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बारानी-3 व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बारानी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर में से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.गु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बारानी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से खसरा नम्बर 68 में स्थित 4000 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण को अपने लगान हक खातेदारी स्वत्वाधिकारों मय पानी-पूला, मेड़-डौल, पेड़-पौधों व हक कायदा सहित के बिना रखे इसके किसी भी अंश व भाग के प्रत्येक वस्तु सहित व वस्तु सुरक्षित रखे हुये अपने समस्त हक-हकूकों व स्वत्वाधिकारों, सुखाधिकारों तथा लगान जमाशुदा राशियों व लाभांशों के, प्रत्येक वस्तु सहित बिना किसी प्रतिफल राशि के उपहारग्रहिता द्वितीयपक्ष रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (RAGHUKUL COLLEGE OF EDUCATION) पता : प्लॉट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर, जयपुर जारिये निदेशक श्री मानवेन्द्र सिंह आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी- प्लॉट नम्बर 4, पारस नगर, रघुकुल मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान प्रान्त के हक में उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया जिसको द्वितीयपक्ष ने स्वीकार करते हुये जोके पर भारतीयक कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं दोनोपक्ष उक्त उपहार पत्र को निम्न बिन्दुओं पर साक्ष्यांकित करते हैं :-

यह कि उपहार पत्र अबूखी में वर्णित सम्पत्ति को उपहारकर्ता ने स्वस्था से अपनी स्वस्थ इन्द्रिय व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना वश पते की दशा में बिना किसी जोर-जबरन व बहकावट की दशा में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उपहारग्रहिता को उपहार करती है व कब्जा शुद्ध करती है जिसे उपहारग्रहिता ने स्वीकार कर लिया

रघुकुल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन
 3
 राजस्थान
 जयपुर

मानवेन्द्र सिंह

3. यह कि उपहारगृहिता आज के बाद उक्त सम्पत्ति का पूर्ण एकमात्र मालिक एवं स्वामी हो गया व उक्त सम्पत्ति पर उपहारगृहिता का कब्जा व अधिकार रहेगा जिसको उपहारगृहिता अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. यह कि उपहारगृहिता उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण, दान, बख्शीश, बेचाज आदि करने और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग किसी अन्य को कर सकेगा।
5. यह कि आज के बाद उक्त उपहार की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपहारकर्ता या उपहारकर्ता के अन्य वारिसान, परिवारजन, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, दायभागी, एजेन्ट, स्थानापन्न इत्यादि का इसमें कोई हक, हिस्सा एवं अधिकार नहीं होगा।
6. यह कि उपहारगृहिता ने उक्त सम्पत्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार कर लिया है।
7. यह कि उक्त सम्पत्ति पर आज से द्वितीयपक्ष पूर्णरूप से एकमात्र मालिक व स्वामी के रूप में काबिज रहते हुये हर प्रकार का उपयोग व उपभोग करे, दान, बख्शीश करे और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते हुये किसी भी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी पर विद्योती कर राशि प्राप्त कर इकरारनामा/अन्य दस्तावेज तहसील व तहसील करावे, रजिस्ट्री करावे, कब्जा देवे और प्रत्येक प्रकार से लाभान्वित होवे।
8. यह कि द्वितीयपक्ष इस उपहारपत्र के तहत समस्त सरकारी, गैरसरकारी विभागों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि में प्रथमपक्ष के स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम अंकित/परिवर्तित करावे एवं पानी-विजली कनेक्शन आदि काम से लेवे/हस्तान्तरित करावे तो प्रथमपक्ष को इसमें कोई ऐतराज/आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

Rajasthan Business and Financial Institute

आचार्य

Chairperson

उप पंजीयक
धाकम्

माननीय श्री

माननीय

11611



8. यह कि द्वितीयपक्ष स्वयं इस उपहारपत्र के आधार पर अपने हक में नामान्तरण दर्ज करावे आज से द्वितीयपक्ष को उपहार की गई कृषि भूमि के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है कि वह उपहार की गई कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावे।

‘उपहार की गई सम्पत्ति का विवरण’

यह कि उपहार की गई सम्पत्ति ग्राम पीपल्या बाई का वाढ, पटवार हल्का बल्लूपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदाजपुरा, तहसील चाकरू, जिला अथपुर में खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.60 हैक्टेयर बाराजी-3, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.05 हैक्टेयर बाराजी-3, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.60 हैक्टेयर बाराजी-3 कुल खसरा नम्बर 04 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर में से खाता संख्या 04 के अनुसार कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु. चाह एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 3.65 हैक्टेयर बाराजी-3, कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से खसरा नम्बर 68 में स्थित 4000 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण है।

यह कि इस उपहार-पत्र की छायाप्रति भविष्य में अस्पष्ट या अपठनीय होने पर शरद्विधत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कोई भी जांच-पड़ताल नहीं होगी।

मानव बंधु

मानव बंधु

उप पंजीयक
आरक्ष

{7}

यह कि उक्त वर्णित उपहार की गई भूमि संपूर्ण गांव की मुख्य आवादी से करीबन 1 1/2 कि.मी. व लिंक डामर रोड से करीबन 1, कि.मी. व चाकसू से 18 कि.मी. दूर स्थित है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण आदि किया हुआ नहीं है।

अतएव यह उपहार-पत्र स्टाम्प कीमती 5,000/-रूपये के स्टाम्प एक व छ. सादा पत्र पर इस प्रकार कुल किता सात पर द्वितीयपक्ष के हक में तहरीर व तकमाल कर दिया एवं समस्त मजमून को पढ, सुन व भली प्रकार सोच समझ संहज स्वीकार करते हुए अत्यंत निम्न दो गवाहान् के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण होंश -हवास में अपनी इच्छा व प्रसन्नतासे बिना नशे पते की दशा में अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगुठात के निशानात कर दियेको समझ सह और यक्त जरूरत काम आवें। इति लेख्य दिनांक 26 दिसम्बर 2012 ईस्वी।

Regional Office of Technical Institute

130 Main Road - Chairperson

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष -

हस्ताक्षर- Monika

व्यक्ति - श्री Monika उम्र 20 वर्ष पुत्र श्री Rajendra Singh जाति Jat
निवासी - via - kulharia ka baas Teah - chikwa
Dist - Jhunjhunu.

हस्ताक्षर-

व्यक्ति -2 श्री उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री जाति

निवासी

व्यक्ति
आकसू